न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 86 / 2016
जी.सी.एस.एम. नं. 2016 / 00092
किस्म – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 12.03.2021

1. आशा पत्नि प्रतापसिंह पुत्री देवीराम जाति जाट निवासी पालतू तहसील नगर जिला भरतपुर।
2. गुड्डी पत्नि बच्चू पुत्री देवीसिंह जाति जाट निवासी पालतू तहसील नगर जिला भरतपुर।
3. रानी पत्नि कुमरपाल पुत्रीयान देवीराम जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर। पीपरउ तहसील नदबई।
4. संजय पत्नि बीरपाल पुत्रीयान देवीराम जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी पीपरउ तहसील नदबई।

–प्रार्थी

बनाम

1. शिबसिंह पिता अर्जुन जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. विक्रम पिता अर्जुन जाति जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. रामजीलाल पुत्र दलगंजी जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. यादराम पुत्र दलगंजी जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. बलबीरी सह पुत्र कुलपुतिया जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. सब रजिस्टार महोदय नदबई।
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री जगवीरसिंह (प्रार्थीगण की और से)
श्री बुजेश कुमार शर्मा (अप्रार्थीगण की और से)

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी उम्मीद है।
2. यह कि आराजी खाता सं. 394 के खसरा नम्बर 930 / 2406 रकवा 0.20, 1559 रकवा 0.23 किता 2 रकवा 0.43 व खाता सं. 402 के खसरा नम्बर 1081 रकवा 0.03, 1082 रकवा 0.03 किता 2 रकवा 0.06 व खाता सं. 403 के खसरा नम्बर 855 रकवा 0.17, 862 रकवा 0.16, 893 रकवा 0.02, 895 रकवा 0.01, 936 रकवा 0.18, 937 रकवा 0.19, 938 रकवा 0.19, 939 रकवा 0.39, 940 रकवा 0.19, 967 रकवा 0.11, 975 रकवा 0.01, 976 रकवा 0.08, 978 रकवा 0.08, 979

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

रकवा 0.15, 989 रकवा 0.10, 1095 रकवा 0.17, 1097 रकवा 0.23, 1098 रकवा 0.18, 1256 रकवा 0.04, 1257 रकवा 0.01, 1260 रकवा 0.05, 1267 रकवा 0.10, 1271 रकवा 0.10, 1278 रकवा 0.06, 1305 रकवा 0.01, 1308 रकवा 0.17, 1309 रकवा 0.16, 1573 रकवा 0.24, 1574 रकवा 0.24, किता 29 रकवा 3.89 व खाता स. 486 के ख0न0 450 रकवा 0.87, 451 रकवा 0.33, 453 रकवा 0.76, 454 रकवा 0.48, 465 रकवा 0.01, 466 रकवा 1.27, 519 रकवा 0.64 523 रकवा 0.27 किता 8 रेवा 4.63 बाके ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी सम्मिलित खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिस पर प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण सम्मिलित रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन अब अप्रार्थीगण के मन में बदयांति आ गई है। जिसके कारणसे अब भेज लगान आदि पर आपस में तनाजा रहता है। तथा अप्रार्थीगण विवादित आराजी को रहन वय मुन्तकिल करने के फिराक में है। जिससे अब शामिल काश्त करना संभव नही रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीयागण विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी का कुरेजात कायम किये जावे व बॅटवारा किया जावे।

4. यह कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को ब मुकाम ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई पर यह एलानियां धमकी दिनांक 10.06.2016 को दी है। कि वह विवादित आराजी को रहन वय मुन्तकिल कर देगे तथा प्रार्थीयागण को बेदखल कर देंगे जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। यदि अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो अप्रार्थीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नही हो सकेगी। अतः प्रार्थीयागण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है।

5. यह कि प्राइमाफेसी केस सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के हक में है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता. फैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाबे कि वो विवादित आराजी मे मदाखलत मजाहमत न करे रहन व वय मुन्तकिल न करे तथा बेदखल न करे तथा ऐसा कोई कार्य न करे जिससे प्रार्थीया गण के अधिकारों पर जबाल आवे। शपथ पत्र पेश हो।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत श्री जगवीरसिंह एड़वोकेट द्वारा प्रस्तुत। प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 3 की आर से श्री बृजेश कुमार शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुऐ। तथा अप्रार्थी सं. 4 लगायत 7 के खिलाफ तामील बाबजूद अनुपस्थित इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 3 की और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जाने हेतु बार–बार लगभग 8 अवसर दिये गये उसके बावजूद भी पेश नही किया गया। अप्रार्थीगण स. 1 लगात 3 का जबाब प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.19 को बंद किया गया।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2071 – 2074 वाके [illegible] पेश कि गई। प्रार्थना पत्र मय आर्डर शीट राजस्व मण्ड़ल राज0 अजमेर, नकल आर्डर [illegible] स्व अपील अधिकारी भरतपुर, नकल इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी जा0दी0 नकल [illegible] धारा सीआरपीसी जा0दी0 दिनांक 06.03.2020 पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल/अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थना में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज०

उभय पक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया गया कि प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है। हाल विवादित आराजी ग्राम पिपरउ तहसील नदबई में स्थित है जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी का रकवा है। उक्त आराजी रकवा पर अप्रार्थीगण जबर दस्ती कब्जाकाश्त को लेकर तनाजा रहने लगा है। तथा अप्रार्थीगण विवादित आराजी को प्रार्थी को जानेते बोने नही देते है। अब प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य शामिल काश्त करना संभव नही रहा है। प्रार्थी काश्त को लकर आपस में झगड़ा फसाद भी हुऐ है , अप्रार्थीगण को इस्तगासा से भी पाबन्द किया जाने के बावजूद भी प्रार्थीगण को कब्जा काश्त भी करने नही दे रहे है। तथा उक्त विवादित आराजी को न्यायालय श्रीमान द्वारा कब्जे राज में ली जाकर थानाधिकारी को रिसीवर भी नियुक्त किया जा चुका है। अतः प्रार्थी विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य बॅटवारा करापाने का अधिकारी है। इसलिए जब तक विवादित आराजीयात बाबत वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय मंगवायेगा तब तक आरजीयात की दावे के निस्तारण तक रहन बयमुन्तकिल नही करने रिकार्ड व मौके कि यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। अन्यथा ऐसी स्थिति में विवाद आराजी को बेचान व रहनबय हो सकता है तथा अजवनी पक्षकार मुकदमा में बनेगे तथा दावे के निस्तारण में रूकावट पैदा होगी। अतः प्राईमाफेसी केस सुविधा का सन्तुलन अपरमित क्षति मेरे को हो रही है। इसलिए जारी शुदा स्थगन आदेश कन्फर्म किया जावें।

अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया गया विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी काश्तकारी कि आराजी है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण मुताबिक हिस्सा अनुसार काश्त किया जा रही है। मौके पर कोई विवादत नही है। स्थगन आदेश खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलो की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

.1. प्राईमाफेसी केस– प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. के तहत् पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित आराजी खाता सं. 394 के खसरा नम्बर 930/2406 रकवा 0.20, 1559 रकवा 0.23 किता 2 रकवा 0.43 व खाता सं. 402 के खसरा नम्बर 1081 रकवा 0.03, 1082 रकवा 0.03 किता 2 रकवा 0.06 व खाता सं. 403 के खसरा नम्बर 855 रकवा 0.17, 862 रकवा 0.16, 893 रकवा 0.02, 895 रकवा 0.01, 936 रकवा 0.18, 937 रकवा 0.19, 938 रकवा 0.19 939 रकवा 0.39, 940 रकवा 0.19, 967 रकवा 0.11, 975 रकवा 0.01, 976 रकवा 0.08, 978 रकवा 0.08, 979 रकवा 0.15, 989 रकवा 0.10, 1095 रकवा 0.17, 1097 रकवा 0.23, 1098 रकवा 0.18, 1256 रकवा 0.04, 1257 रकवा 0.01, 1260 रकवा 0.05, 1267 रकवा 0.10, 1271 रकवा 0.10, 1278 रकवा 0.06, 1305 रकवा 0.01, 1308 रकवा 0.17, 1309 रकवा 0.16, 1573 रकवा 0.24, 1574 रकवा 0.24, किता 29 रकवा 3.89 व खाता स. 486 के ख0न0 450 रकवा 0.87, 451 रकवा 0.33, 453 रकवा 0.76, 454 रकवा 0.48, 465 रकवा 0.01, 466 रकवा 1.27, 519 रकवा 0.64 523 रकवा 0.27 किता 8 रेवा 4.63 बाके ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई में स्थित है। जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी का रकवा है। उक्त आराजी रकवा पर अप्रार्थीगण जबरदस्ती कब्जा काश्त को लेकर तनाजा रहने लगा है। तथा अप्रार्थीगण विवादित आराजी को प्रार्थी को जानेते बोने नही देते है। प्रार्थी काश्त को लकर आपस में झगड़ा फसाद भी हुऐ है , अप्रार्थीगण को जरिये इस्तगासा से भी पाबन्द किया जाने के

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

बावजूद भी प्रार्थीगण को कब्जा काश्त भी करने नही दे रहे है। तथा उक्त विवादित आराजी को न्यायालय श्रीमान द्वारा कब्जे राज में ली जाकर थानाधिकारी को रिसीवर भी नियुक्त किया जा चुका है। तथा आराजी का अब तक बॅटवारा विधिक रूप से नही हुआ है प्रार्थी व अप्रार्थीगण कब्जे काश्त को लकर आपस में झगड़ फसाद भी हुऐ है। इसलिये जब तक कानूनी रूप से बंटवारा नही हो तब तक प्रत्येक खातेदार का हर इन्च पर अपना अधिकार माना जाता हैं । विवादित आराजी में बाबत वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय मंगवायेगा तब तक आरजीयात की दावे के निस्तारण तक रहन बयमुन्तकिल नही करने रिकार्ड व मौके कि यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। अन्यथा ऐसी स्थिति में विवादित आराजी को बेचान व रहनबय हो सकता है तथा अजवनी पक्षकार मुकदमा में बनेगे तथा दावे के निस्तारण में रूकावट पैदा होगी। अतः प्राईमाफेसी केस सुविधा का सन्तुलन अपरमित क्षति प्रार्थी के हक में है।

2. सुविधा का सतुलन –सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

3. अपूर्ण क्षति – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थिगण को पाबन्द नही किया जाता है विवादित आराजीयात का खुर्द बुर्द होने का अन्देशा रहेगा जो अजीम क्षति भी प्रार्थीगण को होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। अतः आदेश है कि आराजी खाता सं. 394 के खसरा नम्बर 930/2406 रकवा 0.20, 1559 रकवा 0.23 किता 2 रकवा 0.43 व खाता सं. 402 के खसरा नम्बर 1081 रकवा 0.03, 1082 रकवा 0.03 किता 2 रकवा 0.06 व खाता सं. 403 के खसरा नम्बर 855 रकवा 0.17, 862 रकवा 0.16, 893 रकवा 0.02, 895 रकवा 0.01, 936 रकवा 0.18, 937 रकवा 0.19, 938 रकवा 0.19, 939 रकवा 0.39, 940 रकवा 0.19, 967 रकवा 0.11, 975 रकवा 0.01, 976 रकवा 0.08, 978 रकवा 0.08, 979 रकवा 0.15, 989 रकवा 0.10, 1095 रकवा 0.17, 1097 रकवा 0.23, 1098 रकवा 0.18, 1256 रकवा 0.04, 1257 रकवा 0.01, 1260 रकवा 0.05, 1267 रकवा 0.10, 1271 रकवा 0.10, 1278 रकवा 0.06, 1305 रकवा 0.01, 1308 रकवा 0.17, 1309 रकवा 0.16, 1573 रकवा 0.24, 1574 रकवा 0.24, किता 29 रकवा 3.89 व खाता स. 486 के ख0न0 450 रकवा 0.87, 451 रकवा 0.33, 453 रकवा 0.76, 454 रकवा 0.48, 465 रकवा 0.01, 466 रकवा 1.27, 519 रकवा 0.64 523 रकवा 0.27 किता 8 रकवा 4.63 बाके ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई में स्थित है, पर जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 15.06.16 को इस आशय के साथ कन्र्फम किया जाता है कि अप्रार्थीगण दावे के निस्तारण तक विवादित आराजी की रिकार्ड व मौके कि यथास्थिति बनाऐ रखने हेतु व प्रार्थीगण को कब्जे काश्त से बेदखन नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested